



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

22 भाद्र, 1944 (श०)

संख्या - 444 राँची, मंगलवार, 13 सितम्बर, 2022 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संकल्प

7 सितम्बर, 2022

विषय:- झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत लक्षित जन वितरण प्रणाली के तहत राज्य के सभी 24 जिलों में Fortified Rice वितरण करने हेतु "Rice Fortification Scheme" लागू करने की स्वीकृति के संबंध में ।

संख्या-02/अधि./ऋण/14/2020/खा.आ.-2613--राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लक्षित जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत लाभुकों को अनुदानित दर पर चावल एवं गेहूँ उपलब्ध कराया जाता है। लाभुकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु खाद्यान्न भारतीय खाद्य निगम से राज्य को अनुदानित मूल्य पर प्राप्त होता है ।

चावल की मिलिंग एवं पॉलिश की प्रक्रिया के दौरान कई पोषक तत्व यथा Vitamins एवं Minerals का क्षय हो जाता है। इससे आम जनता के शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस प्रकार आम लोगों के जीवन में खाद्यान्न के साथ-साथ पोषक तत्वों की भी आवश्यकता को पूर्ण करने तथा कुपोषण से मुक्ति का प्रयास के मद्देनजर वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत सरकार द्वारा जन वितरण प्रणाली के तहत पॉयलट बेसिस पर Fortified Rice वितरण करने का निर्णय लिया गया था।

2. उक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य में पॉयलट बेसिस पर Fortified Rice योजना लागू करने हेतु विभाग के द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत चाकुलिया एवं धालभूमगढ़ प्रखण्ड का चयन किया गया एवं माह अक्टूबर, 2021 से माह मार्च, 2022 तक इन दो प्रखण्डों में लाभुकों को Fortified Rice का वितरण किया गया है।

3. भारत सरकार के पत्रांक-15-1/2017-BP-II (pt.) (e-337997), दिनांक 26 फरवरी, 2022 के आलोक में राईस फोर्टिफिकेशन योजना के द्वितीय चरण (अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक) में राज्य के Aspirational Districts एवं High Burden Districts में एवं तृतीय चरण में पूरे देश में (अप्रैल, 2023 से मार्च, 2024 तक) लागू किया जाना है (परिशिष्ट-1)।

द्वितीय चरण (अप्रैल 2022 से मार्च 2023) के लिए चिन्हित Aspirational Districts & High Burden District श्रेणियों में राज्य के 24 में से 23 जिले आच्छादित हो जाते हैं, मात्र एक जिला धनबाद शेष रह जाता है। उक्त स्थिति में योजना के कार्यान्वयन हेतु मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में गठित Steering Committee द्वारा दिनांक 15.03.2022 को आहूत बैठक में सर्वसम्मति से यह अनुशंसा की गयी कि राईस फोर्टिफिकेशन योजना के दूसरे चरण में सभी जिलों में फोर्टिफाईड चावल वितरण करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाय।

4. दिनांक 26.06.2022 को मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में आहूत Steering Committee की बैठक में यह प्रकाश में आया कि आँगनबाड़ी केन्द्रों एवं विद्यालयों में Fortified Rice का उपयोग किया जा रहा है एवं इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव की सूचना अब तक प्रतिवेदित नहीं है। वर्तमान में स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के पास भी संदर्भित बीमारियों (Sickle Cell, Anaemia, Thalassemia) का विश्वसनीय आँकड़ा संग्रहित नहीं है। अतः निर्णय लिया गया कि स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड द्वारा सरायकेला-खरसावाँ जिला के विद्यालयों तथा सिमडेगा जिला के आँगनबाड़ी केन्द्रों में Fortified Rice के उपयोग करने वाले लाभुक समूहों का Rapid Survey कराया जाय।

झारखण्ड राज्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लाभुकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए चावल की प्राप्ति हेतु पूर्ण रूप से भारतीय खाद्य निगम पर आश्रित है एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लाभुकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना सरकार का वैधानिक दायित्व है। अतः राज्य सरकार के पास भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे Fortified Rice के उठाव के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम के पत्रांक- movt/1(3)/dls-corres/2020-21, दिनांक 22.06.2022 द्वारा सूचित किया गया कि पूरे देश में सामान्य चावल सीमित मात्रा में उपलब्ध है एवं इसकी अधिप्राप्ति भी रोक दी गई है। इस स्थिति में झारखण्ड राज्य में आगामी माहों में सामान्य चावल की आपूर्ति नहीं हो पाएगी तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा Fortified Rice उठाव करने हेतु अनुरोध किया गया।

5. उक्त परिप्रेक्ष्य में झारखण्ड राज्य के सभी 24 जिलों में Fortified Rice वितरण करने का निर्णय लिया गया है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के पत्रांक-15-1/2017-BP-II (pt.) (e-337997) दिनांक 18.04.2022 के आलोक में जून, 2024 तक Fortified Rice वितरण योजना को केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में कर्णांकित करते हुए जून 2024 तक मूल्य विवरणी में Incidental Cost के रूप में शतप्रतिशत राशि की व्यवस्था की गई है (परिशिष्ट-2)। इस प्रकार राज्य सरकार को उक्त अवधि तक कोई वित्तीय वहन नहीं करना होगा।

इस अवधि के उपरांत इस योजना के संबंध में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के आलोक में कार्रवाई की जायेगी एवं राजकोष पर वित्तीय अधिभार सृजित होने पर आवश्यकतानुसार सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

6. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा Rice Fortification योजना के क्रियान्वयन हेतु PATH (Program for Appropriate Technology in Health) संस्था से निःशुल्क तकनीकी सहायता (Technical Support) प्राप्त किया जा रहा है।

7. राज्य में Rice Fortification योजना लागू करने हेतु राज्य स्तर पर निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, राँची तथा जिला स्तर पर संबंधित जिला के जिला आपूर्ति पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

8. उक्त से संबंधित विभागीय संलेख जापांक-2457 दिनांक 24.08.2022 पर मंत्रिपरिषद की दिनांक 01.09.2022 की बैठक की मद संख्या-04 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

हिमानी पाण्डे,
सरकार के सचिव।
